55

सी बी (दो) सं॰ 415

लोक सभा

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996
(नये अनुच्छेद 330क तथा 332क का अंत:स्थापन)

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

(9.12.1996 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)
(9.12.1996 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया)

55
Digi
Hindi

दिसम्बर, 1996 / अग्रहायण, 1918 (शक)

मूल्य : रुपये 18.00

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	संयुक्त समिति की रचना	(iii)
2.	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(v)
3.	विसम्मति का टिप्पण	(viii)
4.	संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक	1
परिशिष्ट एक	— समाचार भाग दो—संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने के बारे में	4
परिशिष्ट दो	— संघों/संगठनों/व्यक्तियों इत्यादि की सूची जिनसे ज्ञापन प्राप्त किये गये	6
परिशिष्ट तीन	— समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची	10
परिशिष्ट चार	— संयुक्त समिति की बैठक का कार्यवाही साराश	12

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्रीमती गीता मुखर्जी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मुखतार अनीस
3. कुमारी ममता बनर्जी
4. श्री सुरजीत सिंह बरनाला
5. डा॰ एम॰ जगन्नाथ
6. श्री रमाकान्त डी॰ खलप
7. श्रीमती मीरा कुमार
8. श्रीमती सुमित्रा महाजन
9. श्रीमती जयवंती बेन मेहता
10. श्री हन्नान मोल्लाह
11. श्री राम नाईक
12. श्री नीतीश कुमार
13. श्री शरद पवार
14. श्री सुरेश प्रभु
15. श्री विजय भास्कर रेड्डी
16. श्री पी॰ एन॰ शिवा
17. श्रीमती सुषमा स्वराज
18. कुमारी उमा भारती
19. प्रो॰ रीता वर्मा
20. डा॰ गिरिजा व्यास
21. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

22. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
23. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
24. श्रीमती मालती शर्मा
25. श्रीमती कमला सिन्हा
26. श्रीमती चन्द्रकला पांडेय
27. श्री आर॰ के॰ कुमार
28. श्रीमती रेणुका चौधरी
29. श्री एन॰ गिरि प्रसाद
30. श्री राम गोपाल यादव
31. श्री जयन्त कुमार मल्होत्रा

सचिवालय

1. डा॰ ए॰ के॰ पांडे — अपर सचिव
2. श्री जे॰ पी॰ रत्नेश — संयुक्त सचिव
3. श्री राम अवतार राम — उप सचिव
4. श्री जे॰ पी॰ जैन — अवर सचिव

विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० एन० मोहनपुरिया, सचिव
2. डा० रघबीर सिंह, अपर सचिव
3. श्री पी० एल० सकरवाल, संयुक्त सचिव
4. श्री टी० के० विश्वनाथन, संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्रीमती गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव
2. डा० (श्रीमती) एस० रोहिणी, निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ए० के० सिन्हा, संयुक्त सचिव
2. सुश्री बीनू सेन, संयुक्त सचिव

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

1. मैं, संयुक्त समिति जिसे भारत के संविधान में और संशोधन करने वाला विधेयक अर्थात् संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 (नए अनुच्छेद 330क तथा 332क का अंतःस्थापन) सौंपा गया था, की सभापति समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर यह प्रतिवेदन प्रतुत करता हूं।

2. उपर्युक्त विधेयक 12 सितंबर, 1996 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। सभा ने 13 सितंबर, 1996 को हुई अपनी बैठक में विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, अध्यक्ष को यह विधेयक राज्य सभा के सभापति से परामर्श करके दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को इस निर्देश के साथ सौंपे जाने के लिए प्राधिकृत किया कि वह शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें।

तदनुसार, अध्यक्ष ने राज्य सभा के सभापति से परामर्श कर के 31 सदस्यों—21 सदस्य लोक सभा से तथा 10 सदस्य राज्य सभा से— कि एक संयुक्त समिति गठित की तथा यह विधेयक उसे सौंप दिया। संयुक्त समिति के गठन संबंधी सूचना 7 अक्तूबर, 1996 के समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया गया। (परिशिष्ट-एक)

3. समिति की कुल 8 बैठकें हुई। समिति की पहली बैठक 23 अक्तूबर, 1996 को हुई। इस बैठक में समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया तथा विधेयक के उपबंधों के बारे में 24 अक्तूबर, 1996 को राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि के विचार जानने का निर्णय किया। समिति ने विधेयक की विषयवस्तु में रूचि रखने वाली राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा व्यक्तियों, संगठनों, आदि से विधेयक के संबंध में 7 नवंबर, 1996 तक अपने विचारार्थ टिप्पणियों/सुझावों वाले ज्ञापन आमंत्रित करने का भी निर्णय किया।

4. तदनुसार, ज्ञापन तथा मौखिक साक्ष्य मांगने के लिए 23 अक्तूबर, 1996 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गयी। नई दिल्ली में आकाशवाणी के महानिदेशक तथा दूरदर्शन के महानिदेशक को भी प्रेस प्रकाशनी की विषयवस्तु को आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से लगातार तीन दिन तक अंग्रेजी तथा हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करने का अनुरोध किया गया।

5. समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधेयक के उपबंधों के संबंध में टिप्पणियों/सुझावों वाले ज्ञापन तथा मौखिक साक्ष्य आमंत्रित करने संबंधी एक परिपत्र भी सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को जारी किया गया।

6. समिति को विभिन्न संघों/संगठनों तथा व्यक्तियों आदि से विधेयक के उपबंधों के बारे में टिप्पणियां/सुझावों वाले 102 ज्ञापन प्राप्त हुए। (परिशिष्ट-दो)

7. समिति ने 14 नवंबर, 1996 को श्रीमती प्रमिला दंडवते तथा रभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के प्रतिनिधियों के विचार सुने, तथा 15 नवंबर, 1996 को महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार सुने। समिति 21 नवंबर, 1996 को भारत के महान्यायवादी (श्री अशोक एच॰ देसाई), श्री एस॰ रमैया, अधिवक्ता तथा पूर्व सचिव, विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) तथा दिल्ली प्रदेश कायस्थ सभा, दिल्ली के प्रतिनिधियों के विचार सुने। (परिशिष्ट-तीन)

8. समिति को अपना प्रतिवेदन शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन (अर्थात् 22 नवंबर, 1996) तक सभा में प्रस्तुत करना था। समिति हेतु यह समय 9 दिसंबर, 1996 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

9. समिति ने 29 नवंबर, 1996 को हुई अपनी बैठक में विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

10. समिति ने अपनी 3 दिसम्बर, 1996 की बैठक में निर्णय लिया कि उसके समक्ष दिये गये साक्ष्यों को संसद की दोनों सभाओं के पटलों पर रखा जाये।

समिति ने यह भी निर्णय किया कि विधेयक के उपबंधों के बारे में समिति को प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों वाले ज्ञापनों के दो सैट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसदीय ग्रंथालय में रखे जायें।

11. समिति ने 3 दिसम्बर, 1996 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

12. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियां उत्तरवर्ती पैराग्राफों में विस्तार से दी गई हैं।

13. समिति यह महसूस करती है कि विधेयक में लिखे ''एक तिहाई से कम नहीं'' शब्द अस्पष्ट हैं और उनकी भिन्न व्याख्या हो सकती है तथा जो एक तिहाई की सीमा से कहीं अधिक आरक्षण करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए समिति की यह राय है

कि विधेयक में जहां कहीं भी ये शब्द आये हों, उसके स्थान पर ''यथाशक्या एक तिहाई'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए ताकि अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं रहे।

14. विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे मामले में, जहां अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो, के लिए आरक्षित सीट तीन से कम हों, तो लोक सभा के मामले में धारा 330(2) और राज्य विधान सभाओं के मामले में धारा 332(3) के अंतर्गत महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जायेगा। इस संबंध में समिति यह टिप्पणी करती है कि विधेयक में विद्यमान संगत परन्तुकों से कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सीटों के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने में समानता सुनिश्चित करने के लिए समिति यह महसूस करती है कि वर्तमान परन्तुकों को समुचित रूप से इस तरीके से संशोधित किया जाना चाहिए कि पहले कार्यकाल में पहली सीट (उदाहरणार्थ सीट-क) महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, दूसरे कार्यकाल में कोई अन्य सीट (उदाहरणार्थ सीट-ख) महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और तीसरे कार्यकाल में दोनों सीट सामान्य अर्थात् अनारक्षित समझी जायेंगी। जहां राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में केवल एक सीट है, वहां पहले कार्यकाल में यह महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और दूसरे तथा तीसरे कार्यकाल में यह सामान्य अर्थात् अनारक्षित होगी। इस ढंग से सीटों के चक्रानुक्रम से लगभग तीन कार्यकालों के पश्चात् से राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में भी, जिसकी लोक सभा में केवल एक या दो सीट हैं, महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट सुनिश्चित की जा सकती है।

15. समिति यह नोट करती है कि प्रस्तावित्त अनुच्छेद 330क(3) और 332क (3) से संबंधित परन्तुक के मामले में भी स्थिति ऐसी ही है जिसमें यह व्यवस्था है कि जहां कहीं भी सीटों की संख्या तीन से कम होती है, महिलाओं के पक्ष में कोई आरक्षण नहीं किया जायेगा। समिति यह टिप्पणी करती है कि इस प्रकार के उपबंध अनेक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लोक सभा तथा विधान सभाओं में महिलाओं को सीटों के लाभ से वंचित कर देंगे। समिति इस आधार पर इन उपबंधों को अनुचित समझी है। समिति चाहती है कि ऐसे दोष को दूर करने के लिए इस विधेयक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में पूर्ववर्ती पैरा में यथास्पष्ट तरीके की तरह उपयुक्त संशोधन किया जाये।

16. समिति यह नोट करती है कि विधेयक के प्रस्तावित अनुच्छेद 332क के उपखण्ड (1) और (3) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया जायेगा। समिति यह महसूस करती है कि इन खण्डों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल नहीं है। हालांकि इसकी एक विधान सभा है। इसी प्रकार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी भी शामिल नहीं है। हालांकि इसकी विधान सभा है। इस संबंध में सरकार ने समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था के उद्देश्य से अनुच्छेद 239कक में संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि पांडिचेरी के संबंध में संविधान में इस प्रकार के किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 239क के मौजूदा उपबंधों के अनुसार संसद के एक अधिनियम द्वारा आवश्यक उपबंध किए जा सकते हैं। अतः समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित किया जाए ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मामले में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का लाभ दिया जा सके।

17. अनुच्छेद 332क के उप खण्ड (3) के परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण तब तक नहीं किया जा सकता जबकि ऐसे राज्य में आवंटित सीटों की संख्या तीन से कम हो। समिति इस परन्तुक को असंगत और निरर्थक पाती है क्योंकि ऐसा कोई राज्य विद्यमान नहीं है जिसमें सीटों की आवंटित संख्या तीन से कम है। अतः समिति सिफारिश करती है कि इस परन्तुक को हटा देना चाहिए।

18. समिति महसूस करती है कि विधेयक को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि प्रावधान किया जाए कि एंग्लो-इण्डियन समुदाय से मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य उपरोक्त पैरा 14 में बताए गए तरीके से क्रमावर्तन द्वारा महिला हो।

19. समिति यह समझती है कि लोक सभा में अथवा राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान को पहली बार में अधिनियम के लागू होने की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के लिए किया जाना चाहिए और 15 वर्षों की अवधि के पश्चात् इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षण को उसके पश्चात् भी जारी रखा जाए। अतः समिति चाहती है कि इस तरीके से विधेयक को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।

सामान्य सिफारिशें

20. समिति नोट करती है कि संविधान में प्रस्तावित संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 330 के उप खंड (2) तथा अनुच्छेद 332 के उप खंड (3) के अंतर्गत आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु क्रमशः लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण का उपबंध करते हैं। समिति तथापि, टिप्पणी करती है कि विधेयक में इस तरह अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इस समय संविधान के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है जैसाकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सरकार आरक्षण के लाभ को अन्य पिछड़े वर्गों को भी यथोचित समय पर देने का विचार करे ताकि अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल सके।

21. समिति नोट करती है कि विधेयक में राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के आरक्षण का कोई उपबंध नहीं है। समिति महसूस करती है कि राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों में भी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सरकार को इस संबंध में रूपरेखा तैयार करनी चाहिए तथा उचित समय पर इस बारे में उपयुक्त कानून बनाना चाहिए।

22. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक, यथासंशोधित, अविलंब पारित किया जाये। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक विधान यथाशीघ्र संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली;
दिसम्बर, 1996

गीता मुखर्जी,
संविधान (इक्यासीवां संशोधन)
विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति।

विसम्मति का टिप्पण

I

मैं संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में हूं। मैं संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण के भी पक्ष में हूं। संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। इस विधेयक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। मेरी यह राय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ भी न्याय होना चाहिए। अतः मैं चाहता हूं कि एक-तिहाई आरक्षण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए।

यह दलील दी जा रही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती है क्योंकि संसद और राज्य विधान मंडलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों के आरक्षण की शीर्ष से ही कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी यह राय है कि संविधान के विद्यमान प्रावधान के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किये बिना अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों में आरक्षण का प्रावधान पहले से ही संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है:—

1. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किये बिना महिलाओं को संसद और राज्य विधान मंडलों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला पायेगा। मुझे यह पता चला है कि इस समय संसद में कुल 39 महिला सदस्यों में से केवल 4 अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं,

2. राष्ट्रीय महिला आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग की एक भी महिला सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना अनिवार्य बनाया जा सके।

3. वयस्क मताधिकार के कारण जनसंख्या का वह भाग जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कहा जाता है सामने आ रहे हैं। संसद और राज्य विधान मंडलों की सामाजिक संरचना समाज के कमजोर वर्गों की जागरूकता और आग्रहिता का स्पष्ट उदाहरण है पिछड़े वर्ग के लोगों के मन में भय है जिसे दूर करना चाहिए। वे महसूस करते हैं कि संसद और राज्य विधान मंडलों की सामाजिक संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। महिला साक्षरता पुरुषों की तुलना में कम है, परन्तु साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता अन्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में काफी कम है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलायें समस्त महिलाओं में सर्वाधिक कमजोर है। अतः विशेष और प्राथमिकता वाला व्यवहार किये जाने की आवश्यकता है। महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और निर्वाचित निकायों में आरक्षण के माध्यम से उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए उनके लिए भी एक उप वर्ग के रूप में उसी प्रकार आरक्षण दिया जाना चाहिए जैसाकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में किया गया है। यदि संसद और राज्य विधान मंडलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण पहले प्रदान करना सम्भव नहीं है तो संविधान में और संशोधन करके उनके लिए आरक्षण देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मेरी यह राय है कि यह समिति अपने प्रतिवेदन में इस प्रावधान को करने की सिफारिश को भी सम्मिलित करे। चूंकि मैं समिति के कुछ अन्य सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाया हूं इसलिए मुझे असहमति की टिप्पणी दर्ज करनी पड़ रही है।

मैं असहमति की इस टिप्पणी को इस आशा के साथ दर्ज कर रहा हूं ताकि जब संयुक्त समिति का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाये तो इस पर संसद के अन्य सदस्य भी विचार कर सकें।

नीतीश कुमार

नई दिल्ली;
3 दिसम्बर, 1996

II

प्रारम्भ में ही मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाये क्योंकि हम डी एम के दल के लोग महिलाओं के लिए समान अधिकारों के अगुआ रहे हैं।

लेकिन इसके साथ ही मैं इस बात को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित कराना चाहता हूं कि इस समिति ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जाने और लोगों के विभिन्न वर्गों की राय लेने का कष्ट नहीं किया। अतः मैं पूरे अधिकार के साथ यह आरोप लगाता हूं कि संयुक्त समिति गठित करने का उद्देश्य ही बेकार हो गया है। लोगों के बड़े वर्गों की राय जानने का प्रयास किए बिना अनावश्यक जल्दबाजी में हमने नई दिल्ली में बैठकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है।

अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु अनुपातिक आरक्षण के लिए विधेयक के विभिन्न खंडों में मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों की महिलाओं के साथ-साथ उनमें भी राजनीतिक अवचेतना लाना है और उन्हें देश में राजनीतिक संस्थाओं में प्रभावी भागीदारी का लाभ पहुंचाना है। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्रमशः लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। इसमें संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के आरक्षण की संकल्पना नहीं है। इस विधेयक से महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु संविधान के अनुबंधों में संशोधन करना है ताकि महिलाओं को समानता का दर्जा दिया जाये और देश में राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी के लिए मौका दिया जाए।

अतः अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को शामिल करने के प्रस्तावित संशोधनों का अस्वीकार करने से संविधान में दिए गए 'दर्जे और अवसर' की समानता और सामाजिक न्याय की अपेक्षा होगी जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं।

अतः अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु बड़ी मेहनत से जीती गई लड़ाई अर्थहीन और अपूर्ण सिद्ध होगी और उन्हें एक होकर अपना संघर्ष फिर आरम्भ करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें छोड़ दिया गया है। इस विधेयक के प्रस्तुत कर्त्ताओं को अन्य पिछड़े वर्गों के विरोध से सतर्क रहना चाहिए क्योंकि आरक्षण के इस प्रकार से सत्ता की पहुंच और आरक्षण के अभाव का अर्थ है कि उनके लिए इसमें प्रवेश के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जायेंगे। अत्यंत विनम्रता के साथ मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को नजरअंदाज करने का प्रयास करेगा तो वह अन्य पिछड़ा वर्गों के अपरिहार्य विद्रोह से देश को हानि पहुंचाएगा क्योंकि ''लैंगिक संतुलन (पुरुषों और महिलाओं के बीच) जातियों की क्रम परम्परा को बनाए रखने से सम्बद्ध है। लेकिन समिति के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि ''सरकार अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लाभ को उचित समय में दिए जाने के ममले पर विचार कर सकती है।''

हम समझते हैं कि उचित समय अभी है, मेरा आग्रह है कि अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान इस विधेयक के साथ-साथ किया जाना चाहिए।

इसी चेतावनी के साथ मैं संयुक्त समिति के इस प्रतिवेदन पर असहमति टिप्पण संलग्न करता हूं।

पी० एन० शिवा

नई दिल्ली;
4 दिसम्बर, 1996

III

जबकि सभी राजनीतिक दलों ने महिलाओं की वोट डालने की प्रबल शक्ति को महसूस करने में चूक नहीं की है इनमें से एक ने भी अपने निर्णायक निकायों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया, न ही संसद अथवा राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को पर्याप्त संख्या में टिकट दिये हैं। एक ओर सभी राजनीतिक दल महिलाओं की सत्ता में भागीदारी के बारे में मौखिक रूप से सहानुभूति व्यक्त करते हैं दूसरी और किसी भी राजनीतिक दल ने उन्हें पर्याप्त संख्या में संसद और राज्य विधान मंडलों में उचित प्रतिनिधित्व दिये जाने की बात की परवाह नहीं की है। यह सही है कि प्रत्येक पांच वर्ष बाद चुनाव कराये जाने की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्वाचित निकायों में प्रतिनिधित्व अनिवार्यतः अस्थायी है। इसके अलावा राजनीतिक जीवन की प्रकृति यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए अपने पद पर नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा एक संसद सदस्य अथवा विधायक एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक संसदीय या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं की सख्या 50 प्रतिशत होती है, यदि यह असंभव नहीं है तो मुश्किल अवश्य होगा कि उन निर्वाचन क्षेत्रों का चयन किस प्रकार किया जाये जो महिलाओं के लिए आरक्षित हों। कोई भी निर्वाचन जो आरक्षित किया जायेगा, मात्र एक संयोग होगा।

वस्तुतः महिलाओं की सत्ता में भागीदारी की समस्या को उसके पूर्ण परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा। इस बात की आवश्यकता है कि राजनीतिक दलों और पूरी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार लाने के बारे में बारीकी से देखना होगा। राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के प्रति भेदभाव विद्यमान है और भेदभाव के उस स्रोत का मुकाबला करना होगा। यह आवश्यक किया जाना चाहिए कि राजनीतिक दल महिलाओं के वांछित प्रतिनिधित्व देने के लिए अपने संविधान में संशोधन करें।

अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को संसदीय और विधान मंडलों के चुनाओं में कानूनन 50 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने के लए बाध्य किया जाना चाहिए।

यदि सभी राजनीतिक दलों को उन निर्वाचन क्षेत्रों में जिनमें वे उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं, 50 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने के लिये बाध्य किया जाता है तो निर्वाचित निकायों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है और महिलाओं की सत्ता में भागीदारी का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

अतः मैं संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं को प्रतिनिधत्व देने के उस रूप के पक्ष मैं नहीं हूं जिस रूप में 81वें संविधान संशोधन विधेयक, 1996 में प्रावधान किया गया है।

अतः मैं विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करता हूं।

नई दिल्ली;
4 दिसम्बर, 1996

जयन्त कुमार मल्होत्रा

IV

हमें खेद है कि जहां तक समिति की इस सिफारिश का संबंध है कि सरकार उपयुक्त समय पर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने वाली प्रणाली पर विचार करे ताकि अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल सके, हम समिति के बहुसंख्या सदस्यों के मत को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

हमारे विचार में ऐसी सिफ़ारिश से विधेयक का मूल उद्देश्य हलका हो जायेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण प्रदान किया जाये और संवैधानिक उपबंध के अनुरूप, जैसा कि विधेयक में व्यवस्था की गई है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाये। जहां तक संसद तथा विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण का संबंध है, हमारे विचार में संविधान द्वारा स्पष्ट रूप में निर्धारित व्यवस्था से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

हम सामान्य रूप से, संसद और विधान सभाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण से असहमत हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से और आगे आरक्षण प्रदान करने से न केवल महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में मुश्किलें आयेंगी बल्कि जाति के आधार पर भी और अधिक उप विभाजन होंगे, जो समग्र रूप में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के महत्व को प्रभावित करेगा। इन परिस्थितियों में प्रवर समिति के प्रतिवेदन के पैरा संख्या 20 में यथाप्रस्तावित सिफारिश से भ्रम उत्पन्न होगा और विभाजक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो राजतंत्र के साथ-साथ देश की एकता और अखण्डता के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अतः हम प्रतिवेदन की उक्त सिफारिश के संबंध में अपना विसम्मति का टिप्पण संलग्न करते हैं।

नई दिल्ली;
4 दिसम्बर, 1996

हन्नान मौल्लाह
चन्द्र कला पाण्डेय

V

अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आनुपातिक आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक के विभिन्न खंडों के प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य उन्हें राजनीतिक जागरूकता प्रदान करना और देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों और अन्य श्रेणियों की महिलाओं के साथ राजनीतिक संस्थाओं में प्रभावी भागीदारी के लाभ प्रदान करना था।

संविधान का अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण पर विचार नहीं करता। इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने संबंधी संविधान के उपबंधों में संशोधन करना और उन्हें देश की राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी का अवसर प्रदान करना है।

इसमें अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को शामिल करने संबंधी प्रस्तावित संशोधनों को नकारने का तात्पर्य होगा संविधान में सन्निहित "दर्जा और अवसर की समानता" तथा उस सामाजिक न्याय से इन्कार करना, जिसके प्रति हम वचनबद्ध हैं।

वर्तमान सभा (ग्यारहवीं लोक सभा) में 39 महिला संसद सदस्यों में से 4 अनुसूचित जनजातियों की हैं और 8 का संबंध अनुसूचित जातियों के समुदायों से है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसी महिला (सामान्य श्रेणी) की नियुक्ति अनिवार्य है और उसमें अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए किसी विधिक सुरक्षा के अभाव और उनके लिए कोई प्रत्यक्ष आरक्षण न होने के कारण, इस समुदाय का प्रतिनिधित्व कभी नहीं हो सकेगा। परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन करने संबंधी विधेयक में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि उन्हें आरक्षण के लाभों से वंचित करना अनुचित होगा।

अतः, मैं संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में विसम्मति का टिप्पण देने के लिए बाध्य हूं।

नई दिल्ली;
4 दिसम्बर, 1996

राम कृपाल यादव,
मुख्तार अनीस

संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए रूप में

1996 का विधेयक संख्यांक 100

[दि कांस्टीट्यूशन (एट्टी-फर्स्ट अमेंडमेंट) बिल, 1996 का हिंदी अनुवाद]

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996

(अधोरेखांकित पार्श्वरेखांकित शब्द समिति द्वारा सुझाए गए संशोशन उपदर्शित करते हैं तारक चियन्हू लोप उपदर्शित करते हैं]

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 1996 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (ख) के उपखंड (ख) में 'अनुसूचित जातियों' शब्दों के स्थान पर 'अनुसूचित जातियों और स्त्रियों शब्द रखे जाएंगें। अनुछेद 239ककक का संशोधन।

3. संविधान के अनुच्छेद 330 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः— नए अनुच्छेद 330क का अंतःस्थापन।

"330क. (1) लोक सभा में स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

लोक सभा में स्त्रियों के लिए स्थानों का आरक्षण

(2) यथाशक्य, अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे;

परंतु जहां किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान एक है वहां लोक सभा के तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक में प्रथम साधारण निर्वाचन में स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगा और अन्य दो साधारण निर्वाचनों में कोई स्थान स्त्रियों के लिए इस प्रकार आरक्षित नहीं रहेगाः

परंतु यह और कि जहां किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान दो हैं, वहां लोक सभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक में,—

(क) एक स्थान प्रथम दो साधारण निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेगा कि एक ही निर्वाचन-क्षेत्र दोनों पूर्वोक्त निर्वाचनों में स्त्रियों के लिए आरक्षित नहीं होता है; और

(ख) तीसरे साधारण निर्वाचन में कोई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित नहीं रहेगा।

(3) यथाशक्य, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किए जा सकेंगेः

परंतु जहां किसी राज्य या संघ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में स्थान, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान नहीं है, एक है, वहां लोक सभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक में प्रथम साधारण निर्वाचन में स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगा और अन्य दो साधारण निर्वाचनों में कोई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित नहीं रहेगाः

परंतु यह और कि जहां किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में स्थान, जो अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान नहीं है, दो हैं, वहां लोक सभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक में,—

(क) एक स्थान प्रथम दो साधारण निर्वाचनों में ऐसी रीति में स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जाएगा कि एक ही निर्वाचन-क्षेत्र दोनों पूर्वोक्त निर्वाचनों में स्त्रियों के लिए आरक्षित नहीं होता है; और

(ख) कोई स्थान तीसरे साधारण निर्वाचन में स्त्रियों के लिए आरक्षित नहीं रहेगा"।

4. संविधान के अनुच्छेद 331 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अनुच्छेद 331 का संशोधन।

"परंतु जहां ऐसे नामनिर्देशन लोक सभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक के संबंध में किए जाते हैं, वहां एक स्थान प्रथम दो साधारण निर्वाचनों के पश्चात् गठित की जाने वाली प्रत्येक लोक सभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय की स्त्री के नामनिर्देशन के लिए आरक्षित रहेगा और कोई स्थान तीसरे साधारण निर्वाचन के पश्चात् गठित की जाने वाली लोक सभा में उस समुदाय की स्त्री के लिए आरक्षित नहीं रहेगा।"

5. संविधान के अनुच्छेद 332 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

नए अनुच्छेद 332क का अंतःस्थापन।

"332क. (1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

राज्यों की विधान सभाओं में स्त्रियों के लिए स्थानों का आरक्षण।

(2) यथाशक्य, अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे:

परंतु जहां किसी ऐसे राज्य के संबंध में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान एक है, वहां उस राज्य की विधान सभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक में, प्रथम साधारण निर्वाचन में स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्री के लिए आरक्षित रहेगा।

परंतु यह और कि जहां किसी राज्य के संबंध में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान दो हैं वहां उस राज्य की विधान सभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक में,—

(क) उस विधानसभा के प्रथम दो साधारण निर्वाचनों में अनुकल्पत ऐसी रीति से एक स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगा कि एक ही निर्वाचन-क्षेत्र दोनों पूर्वोक्त निर्वाचनों में स्त्रियों के लिए आरक्षित नहीं होता है; और

(ख) कोई स्थान तीसरे साधारण निर्वाचनों में, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित नहीं रहेगा।

(3) यथाशक्य प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान रहेंगे और ऐसे स्थान उस राज्य में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किए जा सकेंगे।

* * * * * * *

* * * * * * *

6. संविधान के अनुच्छेद 333 में निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— अनुच्छेद 333 का संशोधन।

"परंतु जहां विधान सभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक के संबंध में ऐसा नामनिर्देशन किया जाता है, वहां प्रथम साधारण निर्वाचन के पश्चात् गठित की जाने वाली विधान सभा में स्थान आंग्ल भारतीय समुदाय की स्त्री के नामनिर्देशन के लिए आरक्षित रहेगा और कोई स्थान दूसरे और तीसरे साधारण निर्वाचनों के पश्चात् गठित की जाने वाली विधान सभा में उस समुदाय की स्त्री के लिए आरक्षित नहीं रहेगा"।

7. संविधान के अनुच्छेद 334 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए अनुच्छेद 334क का अंतःस्थापन।

34क. इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा में, राज्यों की विधान सभाओं में और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में स्त्रियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी इस संविधान के उपबंध, संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 1996 के प्रारंभ से पंद्रह की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे: स्त्रियों के लिए स्थानों के आरक्षण का पंद्रह वर्षों के पश्चात् समाप्त होना।

अस्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक सभा में, किसी राज्य के विधान सभा में या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक, यथास्थिति, उस समय विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।"

8. इस अधिनियम द्वारा संविधान में किए गए संशोधनों से लोक सभा में किसी राज्य की विधान सभा क्षेत्र दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान, यथास्थिति, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है। संशोधनों से लोक सभा या किसी राज्य का विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर प्रभाव न पड़ना।

परिशिष्ट-एक

समाचार भाग 2 विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए (देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

संविधान (इक्यासीवां) संशोधन विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति

अतः सभा ने 13 सितम्बर, 1995 को हुई अपनी बैठक में संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 (अनुच्छेद 330क और 332क का अंतःस्थापन पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष को प्राधिकृत किया कि वह विधेयक को, राज्य सभा के सभापति के साथ परामर्श करके दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को, इस अनुदेश के साथ कि समिति शीलकालीन सत्र 1996 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, सौंप दें।

तद्नुसार, अध्यक्ष ने, राज्य सभा के सभापति से परामर्श करके विधेयक को संयुक्त समिति को सौंप दिया है जिसमें निम्नलिखित इक्तीस सदस्य, इक्कीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से, होंगेः—

लोक सभा

1. श्री मुखतार अनीस
2. कुमारी ममता बनर्जी
3. सरदार सुरजीत सिंह बरनाला
4. डा० एम० जगन्नाथ
5. श्री रमाकान्त डी० खलप
6. श्रीमती मीरा कुमार
7. श्रीमती सुमित्रा महाजन
8. श्रीमती जयवन्ती वेन मेहता
9. श्री हन्नान मोल्लाह
10. श्रीमती गीता मुखर्जी
11. श्री राम नाईक
12. श्री नीतीश कुमार
13. श्री शरद पवार
14. श्री सुरेश प्रभु
15. श्री विजय भास्कर रेड्डी
16. श्री पी० एन० शिवा
17. श्रीमती सुषमा स्वराज
18. कुमारी उमा भारती
19. प्रो० रीता वर्मा
20. डा० गिरिजा व्यास
21. श्री राम कृपाल

राज्य सभा

1. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
2. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
3. श्रीमती मालती शर्मा
4. श्रीमती कमला सिन्हा
5. श्रीमती चन्द्रकला पांडेय
6. श्री आर० के० कुमार

7. श्रीमती रेणुका चौधरी
8. श्री एन० गिरि प्रसाद
9. श्री राम गोपाल यादव
10. श्री जयन्त कुमार मल्होत्रा

अध्यक्ष ने श्रीमती गीता मुखर्जी को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।

संयुक्त समिति सभा के समक्ष प्रतिवेदन शीतकालीन सत्र, 1996 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रस्तुत करेगी।

सभा के संसदीय समितियों संबंधी प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेदों तथा परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं।

परिशिष्ट दो

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 6)

इन संघों, संगठनों, व्यक्तियों आदि के नामों की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए:—

1. श्री एन॰ बाला अंकैय्या, प्रेजीडेन्ट, आंध्र प्रदेश
2. श्री एन॰ बाला अंकैय्या, प्रेजीडेन्ट, आंध्र प्रदेश
3. राष्ट्रीय महिला आयोग
4. श्रीमती नफीज़ फजल, सदस्य, कर्नाटक विधान परिषद, बंगलौर
5. डा॰ (कुमारी) रिचल मथाई, प्रेजीडेन्ट, विश्वविद्यालय महिला संघ, तिरुवन्थापुरम
6. श्री अविनाश बुखारी, नई दिल्ली
7. कुमारी सावित्री देवी भिवानी
8. श्री नगेन्द्र नाथ मिश्र, बीजेएमसी प्रेजीडेन्ट, हरिद्वार (उ॰प्र॰)
9. न्यायमूर्ति एम॰ रामा जोस, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
10. श्री के॰ पी॰ शर्मा, ए-2-बी, नई दिल्ली
11. कु॰ ऊषा, नई दिल्ली
12. श्रीमती वीरमती, प्रेजीडेन्ट, लखनऊ
13. सत्यवत्ता चौधरी, कलकत्ता
14. जस्टिस नादर, केरल
15. डा॰ एन॰ के॰ काटोडेड, बंगलौर
16. श्री सुबोध चौधरी आवार जी, त्रिपुरा
17. श्रीमती स्नेहलता भूपाल, सिन्दराबाद (आ॰प्र॰)
18. श्रीमती सविता सुकौल, मध्य प्रदेश
19. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार अग्रवाल, दिल्ली
20. श्रीमती त्रिपूर्णा वेंकटारत्नम, आ॰प्र॰
21. श्रीमती सुमन कृष्ण कान्त, महिला दक्षता समिति, नई दिल्ली
22. श्री एस॰ शिवकुमार, सचिव, आईएसआईएस, केरल
23. श्री जनार्दन सिंह, अधिवक्ता, लखनऊ
24. श्री एलिस गर्ग, सचिव, जयपुर
25. श्री आर॰जे॰ त्रिवाणी, नई दिल्ली
26. श्री सुशील कुमार बंसल, पंजाब
27. श्रीमती सरला देवी, नई दिल्ली
28. श्रीमती मृदुला सिन्हा, नई दिल्ली
29. श्री बुध माया सुब्बा, सिक्किम
30. श्री महेश कुमार सिंघानियां, कलकत्ता
31. श्री जननावी टंडन, वाराणसी
32. श्री पी॰ टी॰ थेमथुग, प्रेजीडेन्ट, इम्फाल
33. श्री मदुर नागवन (उ॰प्र॰)
34. श्री के॰ एस॰ राधाकृष्णनन, मद्रास
35. श्री एच॰ एम॰ कुण्डल, शिमला
36. श्री खन्टौनी थामस, त्रिवेन्द्रम
37. कु॰ आदिब खालिदा बानु, बंगलौर

38. श्रीमती मेरी खेमचन्द, प्रेजीडेन्ट वायडब्ल्युसीए ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
39. प्रो॰ एम॰ जी॰ कैसवन, केरल राज्य
40. श्री वैभव विशाल, दिल्ली
41. श्री कमल नाथ, समन्वयक, नई दिल्ली
42. श्री के॰ मुडुकप्पा, बंगलौर
43. श्री संध्या माहापात्रा, कटक
44. श्री सी॰ राजाकुमारी, महिला इक्या वेदिका
45. श्री एम॰ एस॰ अहमद, त्रिवेन्द्रम
46. श्री विनय चन्द्र पाण्डे, इलाहाबाद
47. कु॰ इला पाठक, अहमदाबाद
48. विमेन्स स्टडीज रिसर्च सेंटर (महिला अध्ययन अनुसंधान केन्द्र), कलकत्ता
49. कुमारी शकुनतला अदीम, मध्य प्रदेश
50. श्रीमती प्रमिला दण्डवते, नई दिल्ली
51. श्री एस॰ एल॰ दुर्गा, प्रेजीडेन्ड अखिल भारतीय समानता मंच, बीकानेर
52. प्रो॰ भगवत प्रसाद शाव, पुस्तक सदन, वरान बाजार
53. सिस्टर केलोपेट्रा, सीएमसी, नई दिल्ली
54. श्री जट्टा शंकर सिंह, वाराणसी
55. श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, गुवाहाटी
56. श्री जे॰ वी॰ जेना, सचिव, भुवनेश्वर
57. श्री जे॰ एन॰ तिवारी, औरंगाबाद
58. डा॰ एम॰ पी॰ अग्रवाल, बैतूल
59. डा॰ सरला ग्रोवर, राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था जयपुर, राजस्थान
60. डा॰ श्रीकान्त रेज़, म॰प्र॰
61. श्री एम॰ एम॰ डे, कलकत्ता 700013
62. श्री ए॰ के॰ सोनेर, त्रिपुरा
63. डा॰ अरविन्द कुमार
64. श्रीमती कुन्तला डेका, प्रेजीडेन्ट अखिल असम महिला सामान्या परिषद, गुवाहाटी
65. श्री मुकेश कुमार, पंजाब
66. डा॰ (कैप्टन) एम॰ एस॰ झा, बिहार
67. कु॰ अल्का कपूर, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्टरीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
68. श्री मनीष शव, मध्य प्रदेश
69. श्री अनिल कुमार, कलकत्ता
70. श्री सी॰ एस॰ रघुरमन, हैदराबाद (आ॰प्र॰)
71. श्री एच॰ डी॰ सोलंकी, सचिव, गुजरात
72. श्री वी॰ वी॰ स्वामीनाथन, मद्रास
73. श्री वी॰ कृष्णामूर्ति, नई दिल्ली
74. श्रीमती बी॰ के॰ बरार, नई दिल्ली
75. सुश्री गिरिजा — संयोजक, कोयम्बटूर—641002
76. श्री सुभाष चन्द अग्रवाल
77. श्री केशव शर्मा,
    कूटू (हि॰प्र॰)
78. डा॰ के॰ एन॰ प्रसाद,
    नोएडा
79. श्री संजय एस राशानभाग
    करवर
80. श्री टी॰डी॰ सोयन्तर, कार्यकारी अध्यक्ष,
    अहमदाबाद

81. सुश्री भूपेन्द्र कौर खुराना,
फरीदकोट

82. श्री बी०सी० उके,
मुम्बई

83. अखिल भारतीय मुस्लिम तेली परिसंघ

84. श्री एन० उत्री कूसर,
शारनपुर

85. श्री राम सिंह विद्यार्थी,
महामंत्री दलित कमजोर वर्ग,
प्रतापगढ़

86. श्री एस० पी० दासगुप्ता,
कलकत्ता

87. सुश्री ए० रेंका देवी,
मद्रास

88. श्री एस० दास,
एडवोकेट भद्रक

89. श्री पी० सुब्बालक्ष्मी, उपाध्यक्ष,
अमलपुट

90. श्री पी० माणिक्याम्बा,
हैदराबाद (आ० प्र०)

91. श्री वी० रामानाथन,
एर्नाकुलम

92. श्री राकेश मिश्रा,
मालगोटाम रोड़

93. नव ज्योति क्रान्ति पार्टी,
नई दिल्ली

94. डा० देवराज सिंह पाल,
कानपुर

95. श्रीमती प्रिनिता पांडे,
(म० प्र०)

96. कस्तूरबा गांधी महिला कालेज,
सिकन्दराबाद

97. श्री विनय सभाषराबुद्धे,
रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी,
मुम्बई

98. सुश्री ज्योत्सना चटर्जी,
संयुक्त महिला कार्यक्रम

99. श्री जयन्त के० मल्होत्रा,
संसद सदस्य,
नई दिल्ली

100. जस्टिस एम० रामा जोइस,
चीफ जस्टिस (रिटायर्ड),
बंगलौर

101. श्री एस० रमैया,
फार्मर लॉ सेक्रेटरी,
मिनिस्ट्री आफ लॉ (लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट)

102. श्री एस० सी० जमीर,
चीफ मिनिस्टर, नागालैंड, कोहिमा।

परिशिष्ट तीन

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 7)

संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची

1. सुश्री मोहिनी गिरि, सभापति,
   राष्ट्रीय महिला आयोग

2. सुश्री पद्मा सेठ, सदस्य,
   राष्ट्रीय महिला आयोग

3. श्रीमती प्रमिला दण्डवते,
   दिल्ली

4. डा० शरयु अनन्तराम,
   भूतपूर्व रीडर, समाज शास्त्र विभाग,
   एस० एन० डी० टी० विश्वविद्यालय,
   रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी,
   मुम्बई

5. डा० मेघा नानी वाडेकर, प्रवक्ता
   राजनीति शास्त्र विभाग और महिला अध्ययन केन्द्र,
   शिवाजी विश्वविद्यालय,
   रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी,
   कोल्हापुर

6. विनय सहस्त्रबुद्धे, कार्यकारी निदेशक,
   रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी,
   मुम्बई

7. सुश्री सरला देवां,
   भारतीय राष्ट्रीय महिला परिसंघ

8. सुश्री वृन्दा करत,
   अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ

9. सुश्री वीणा मजूमदार,
   महिला विकास अध्ययन केन्द्र

10. सुश्री ज्योत्सना चटर्जी,
    संयुक्त महिला कार्यक्रम

11. सुश्री विनय भारद्वाज,
    महिला दक्षता समिति

12. सुश्री मेरी खेमचन्द,
    वाई०डब्ल्यू०सी०ए०आफ इंडिया

13. सुश्री चन्द्रमणि चोपड़ा,
    एडवोकेट,
    अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

14. श्री अशोक एच॰ देसाई,
    भारत के महान्यायवादी

15. श्री एस॰ रमय्या, एडवोकेट,
    भूतपूर्व विधि सचिव
    (विधायी विभाग)

16. **दिल्ली प्रदेश कायस्थ सभा**
    (एक) श्री वैभव विशाल
    (दो) श्री अशोक श्रीवास्तव
    (तीन) श्री जे॰पी॰ सिन्हा
    (चार) श्री एस॰ के॰ बिसारिया

परिशिष्ट चार

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 23 अक्तूबर, 1996 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

लोक सभा

श्रीमती गीता मुखर्जी — सभापति

सदस्य

2. सरदार सुरजीत सिंह बरनाला
3. डा॰ एम जगन्नाथ
4. श्री रमाकान्त डी॰ खलप
5. श्रीमती मीरा कुमार
6. श्री हनान मोल्लाह
7. श्री राम नाईक
8. श्री नीतिश कुमार
9. श्री शरद पवार
10. श्री विजय भास्कर रेड्डी
11. श्री पी॰ एन॰ शिवा
12. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

13. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
14. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे
15. श्रीमती मालती शर्मा
16. श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय
17. श्रीमती रेणुका चौधरी
18. श्री राम गोपाल यादव
19. श्री जयन्त कुमार मल्होत्रा

सचिवालय

1. श्री जे॰पी॰ रत्नेश —संयुक्त सचिव
2. श्री जे॰पी॰ जैन —अवर सचिव
3. श्री बी॰डी॰ स्वैन —सहायक निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा॰ रघुवीर सिंह —अपर सचिव
2. श्री पी॰एल॰ सकरवाल —संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

डा० (श्रीमती) एस० रोहिणी—**निदेशक**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ए० के सिन्हा—**संयुक्त सचिव**

2. आरम्भ में सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये स्थानों के आरक्षण हेतु प्रस्तावित विधान के महत्व और तात्कालिकता के बारे में बताया।

3. सभापति ने अपने स्वागत भाषण (अनुबंध-एक) में सदस्यों को बताया कि समिति को अपना प्रतिवेदन 1996 के शरद कालीन सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन प्रस्तुत करना है।

तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर सामान्य चर्चा की और विशेष रूप से स्थानों के परिक्रम की अवधि, राज्य सभा और विधान परिषदों में स्थानों का आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण और संविधान में महिलाओं के लिये आरक्षण की अवधि कितनी रखी जाए, इस बारे में चर्चा की।

4. समिति ने एक प्रेस प्रकाशनी (अनुबंध-दो) जारी करके 7 नवम्बर, 1996 तक राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संगठनों और व्यक्तियों आदि से विधेयक पर टिप्पणी, सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रेस प्रकाशनी की विषय वस्तु को प्रेस आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिये।

5. विधेयक पर राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिये समिति की 24 अक्तूबर 1996 के लिये पूर्व निर्धारित अगली बैठक के अतिरिक्त समिति ने आगे 14, 15 और यदि आवश्यक हुआ तो 16 नवम्बर, 1996 को विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों, आदि से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार करने के लिये बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया। समिति ने 7, 8 और 18 नवम्बर को होने वाली बैठकें रद्द करने का निर्णय लिया जिनके बारे में सदस्यों को पहले सूचित किया गया था।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध एक

(देखिए 23.10.96 के कार्यवाही सारांश का पैरा 3)

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 23 अक्तूबर, 1996 को होने वाली प्रथम बैठक में सभापति का स्वागत भाषण।

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति की इस प्रथम बैठक में माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं इस विधेयक का आशय संविधान में क्रमशः लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में भी स्त्रियों के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध करना है।

2. जैसा कि आप इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन से देख सकते हैं कि संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 और संविधान (चौहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 243घ और 243न उपबंध करते हैं कि प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक नगरपालिका में स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अतिरिक्त उक्त अनुच्छेद उपबंध करते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। उक्त अनुच्छेद यह भी उपबंध करते हैं कि स्त्रियों के लिए आरक्षित ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

पंचायतों और नगरपालिकाओं में स्त्रियों के लिए आरक्षण का उपबंध करने के पश्चात् अब यह प्रस्थापित किया जाता है कि उन्हीं आधारों पर संविधान में संशोधन करके लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में स्त्रियों के लिए आरक्षण का उपबंध किया जाए। प्रमुख राजनैतिक दल स्त्रियों के लिए ऐसा आरक्षण करने के पक्ष में हैं और यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

तथापि सभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए थे तथा वर्तमान विधेयक में खामियां बताई थीं। यह भी बताया गया था कि विधेयक में राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यह भी सुझाव दिया गया था कि पिछड़े समुदायों के लिए भी स्थानों के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यह भी सुझाव दिया गया था कि पिछड़े समुदायों के लिए भी स्थानों के आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। एक सदस्य चाहते थे कि इन विधेयक के दायरे से नागालैंड को निकाल दिया जाये जैसा कि संविधान की धारा 371क के प्रावधानों तथा नागा लोगों की धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए पंचायत राज तथा नगरपालिका विधेयकों के मामले में किया गया है। यह पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में समस्यायें पैदा कर सकता है। सदस्य इन सभी मुद्दों के प्रति जागरूक हैं।

मैं आशा करती हूं कि अपने माननीय साथियों के सहयोग से हम सौंपे गये इस कार्य को पूरा कर सकेंगे। मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करूंगी। यदि कोई सदस्य कोई सुझाव देना चाहे तो वह ऐसा कर सकते हैं।

समिति की शर्तों के अनुसार समिति का प्रतिवेदन शरदकालीन सत्र, 1996 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक सभा में प्रस्तुत करना आवश्यक है, अतः मैं समिति के माननीय सदस्यों से अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समिति की बैठकों में भाग लेने का समय निकालने तथा हमारे सामूहिक प्रयास को और अधिक प्रभावी तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने का अनुरोध करती हूं कि ताकि समिति निर्धारित समय के भीतर सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके।

धन्यवाद।

अनुबंध दो

(देखिए दिनांकः 23.10.96 के कार्यवाही सारांश का पैरा 4)

प्रेस प्रकाशनी

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संसद की संयुक्त समिति

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा गया है। इन विधेयक का आशय संविधान में क्रमशः नये अनुच्छेदों 330-क और 332-क को अन्तःसथापित करके लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में भी महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना है। समिति ने विधेयक की विषय-वस्तु में रूचि रखने वाले विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों आदि से विधेयक के संबंध में ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

2. जो संगठन/व्यक्ति समिति को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे उसकी 75 प्रतियां अवर सचिव (सी० बी०) लोक सभा सचिवालय, कमरा नं० 331, संसदीय सौध, नई द्रिल्ली के पास 7 नवम्बर, 1996 तक या उससे पहले भेज दें। समिति को जो ज्ञापन प्रस्तुत किये जायेंगे वे समिति की रिकर्ड का भाग बन जायेंगे और उन्हें पूर्ण रूप से गोपनीय समझा जायेगा और किसी भी व्यक्ति द्वारा उनका परिचालन नहीं किया जायेगा क्योंकि ऐसा कार्य समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।

3. जो संगठन/व्यक्ति ज्ञापन भेजने के अतिरिक्त समिति के सम्मुख अपना मौखिक साक्ष्य देना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इस संबंध में समिति के विचारार्थ लोक सभा सचिवालय को इसकी सूचना भेज दें।

4. लोक सभा में यथा पुरःस्थापित संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 दिनांक 12 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2 में प्रकाशित हुआ था।

नई दिल्ली
दिनांकः 23.10.1996

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक गुरूवार, 24 अक्तूबर, 1996 को 11.00 बजे से 13.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

लोक सभा

श्रीमती गीता मुखर्जी — सभापति

सदस्य

2. श्री मुखतार अनीस
3. डा॰ एम॰ जगन्नाथ
4. श्री रमाकान्त डी॰ खलप
5. श्रीमती मीरा कुमार
6. श्रीमती जयवंती बेन मेहता
7. श्री हन्नान मोल्लाह
8. श्री राम नाईक
9. श्री नीतीश कुमार
10. श्री शरद पवार
11. श्री विजय भास्कर रेड्डी
12. श्री पी॰ एन॰ शिवा
13. डा॰ गिरिजा व्यास
14. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

15. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
16. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
17. श्रीमती मालती शर्मा
18. श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय
19. श्री आर॰ के॰ कुमार
20. श्री रामगोपाल यादव
21. श्री जयन्त कुमार मल्होत्रा

सचिवालय

1. श्री जे॰ पी॰ जैन — अवर सचिव
2. श्री बी॰ डी॰ स्वैन — सहायक निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी॰ एल॰ सकरवाल— संयुक्त सचिव
2. टी॰ के॰ विश्वनाथन— संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) के प्रतिनिधि

श्री ए० के० सिन्हा— संयुक्त सचिव

2. समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लियाः—

1. सुश्री मोहिनी गिरि, अध्यक्ष
2. सुश्री पद्मा सेठ, सदस्य

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया था।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक गुरूवार, 14 नवम्बर, 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्रीमती गीता मुखर्जी — सभापति

सदस्य

2. श्री मुखतार अनीस
3. कुमारी ममता बनर्जी
4. श्री रमाकान्त डी॰ खलप
5. श्रीमती मीरा कुमार
6. श्रीमती सुमित्रा महाजन
7. श्रीमती जयवंतीबेन मेहता
8. श्री हन्नान मोल्लाह
9. श्री राम नाईक
10. श्री शरद पवार
11. श्री विजय भास्कर रेड्डी
12. श्री पी॰ एन॰ शिवा
13. श्रीमती सुषमा स्वराज
14. डा॰ गिरिजा व्यास
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
17. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
18. श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय

सचिवालय

1. श्री जी॰ पी॰ रत्नेश — संयुक्त सचिव
2. श्री जे॰ पी॰ जैन — अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा॰ रघवीर सिंह — अपर सचिव
2. श्री पी॰एल॰ सकरवाल — संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) के प्रतिनिधि

कुमारी बीनू सेन — संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्रीमती गौरी चटर्जी — संयुक्त सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लियाः—

(एक) श्रीमती प्रोमिला दण्डवते

(15.00 बजे से 16.00 बजे तक)

(दो) **रामबहु महलगी प्रबोधनी के प्रतिनिधि**
वक्ता

1. डा० शरयू अनत राम
भूतपूर्व रीडर, समाज विज्ञान विभाग,
एस एन डी टी विश्वविद्यालय, मुम्बई
2. डा० मेघा नानी वाडेकर, व्याख्याता
राजनीति विज्ञान विभाग और
महिला अध्ययन केन्द्र,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
3. श्री विनय सहस्त्रबुधे
कार्यकारी निदेशक
(16.00 बजे से 17.00 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक 15 नवम्बर, 1996 को 1100 बजे पुनः होने के लिए स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 15 नवम्बर, 1996 को 1100 बजे से 1300 बजे तक तथा पुनः 1500 बजे से 1700 बजे तक हुई।

उपस्थित

लोक सभा

श्रीमती गीता मुखर्जी — सभापति

सदस्य

2. कुमारी ममता बनर्जी
3. श्री रमाकान्त डी खलप
4. श्रीमती मीरा कुमार
5. श्री हन्नान मोल्लाह
6. श्री राम नाईक
7. श्री शरद पवार
8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री विजय भास्कर रेड्डी
10. श्री पी॰एन॰ शिवा
11. श्रीमती सुषमा स्वराज
12. प्रो॰ रीता वर्मा
13. डा॰ गिरिजा व्यास
14. श्री रामकृपाल यादव

राज्य सभा

15. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
16. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
17. श्रीमती चन्द्रकला पांडेय
18. श्री आर॰के॰ कुमार
19. श्रीमती रेणुका चौधरी
20. श्री एन॰ गिरि प्रसाद
21. श्री राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. श्री जे॰पी॰ रतेश — संयुक्त सचिव
2. श्री पी॰ एल॰ चावला — सहायक निदेशक

विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री॰ के॰ एल॰ मोहनपुरिया, सचिव
2. डा॰ रघवीर सिंह, अपर सचिव
3. श्री पी॰ एल॰ सकरवाल, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) के प्रतिनिधि

1. सुश्री बीनू सेन, संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्रीमती गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

2. प्रारम्भ में समिति ने विधेयक की जांच के विभिन्न चरणों से संबंधित कार्य के बारे में अपना भावी कार्यक्रम निम्न रूप से तय किया:—

एक.	सदस्यों/सरकार से संशोधनों की सूचना	21.11.96 को 1700 बजे तक
दो.	विधेयक पर खंडवार विचार करना	26 और 27 नवम्बर, 1996
तीन.	प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना	29 नवमबर, 1996
चार.	विमत, यदि कोई हो तो, का कार्यवाही सारांश	3.12.96 को 300 म॰प॰ तक
पांच.	सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	9.12.96

3. सभापति ने बताया कि समिति के गठन की शर्त के अनुसार प्रतिवेदन को शीतकालीन अधिवेशन 1996 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन (अर्थात् 22 नवम्बर, 1996) तक सभा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। चूंकि विचार-विमर्श के लिए समय बहुत कम है इसलिए समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 9.12.1996 तक बढ़ाने की मांग करने का निर्णय किया है।

4. तत्पश्चात् समिति ने विभिन्न महिला संगठनों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों के विचार सुनेः

1) कुमारी जी॰ सरला देवी
   भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ
2) कुमार बृन्दा कराट
   अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ
3) कुमारी वीणा मजूमदार
   महिला विकास अध्ययन केन्द्र
4) कुमारी ज्योत्सना चटर्जी
   संयुक्त महिला कार्यक्रम
5) कुमारी विनय भारद्वाज
   महिला दक्षता समिति
6) कुमारी मैरी खेमचन्द
   भारतीय युवा महिला ईसाई संघ
7) कुमारी चन्द्रमणि चोपड़ा
   अधिवक्ता, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

5. साक्ष्य* का शब्दशः अभिलेख रखा गया था।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

7. समिति ने अपना कार्य आरम्भ किया तथा विधेयक के प्रावधानों पर विभिन्न संघों; संगठनों और व्यक्तियों इत्यादि से प्राप्त विभिन्न ज्ञापनों पर सामान्य चर्चा की तथा 21 नवम्बर, 1996 को होने वाली अपनी अगली बैठक में निम्नलिखित के विचार सुनने का निर्णय किया:—

(एक) भारत के महान्यायवादी

(दो) श्री एस॰ रामैया, अधिवक्ता तथा भूतपूर्व विधि सचिव

(तीन) न्यायमूर्ति एम॰ रामा जोइस, मुख्य न्यायाधीश
(अवकाश प्राप्त पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय)

(चार) श्री अविनाश भाकरी, दिल्ली

8. समिति ने 16 नवम्बर, 1996 को पूर्व निश्चित बैठक को निरस्त करने का निर्णय किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

पांच

पांचवी बैठक

समिति की बैठक गुरूवार, 21 नवम्बर, 1996 को 1500 बजे से 1715 बजे तक हुई

उपस्थित

लोक सभा

श्रीमती गीता मुखर्जी — सभापति

सदस्य

2. श्री मुखतार अनीस
3. कुमारी ममता बनर्जी
4. श्री रमाकान्त डी खलप
5. श्रीमती सुमित्रा महाजन
6. श्रीमती जयवंतीबेन मेहता
7. श्री हन्नान मोल्लाह
8. श्री राम नाईक
9. श्री नीतीश कुमार
10. श्री शरद पवार
11. श्री सुरेश प्रभु
12. श्री पी॰एन॰ शिवा
13. श्रीमती सुषमा स्वराज
14. कुमारी उमा भारती
15. प्रो॰ रीता वर्मा
16. डा॰ गिरिजा व्यास
17. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

18. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
19. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
20. श्रीमती मालती सिन्हा
21. श्रीमती चन्द्रकला पांडेय
22. श्री आर॰के॰ कुमार
23. श्रीमती रेणुका चौधरी
24. श्री राम गोपाल यादव
25. श्री जयंत कुमार मल्होत्रा

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम — उप सचिव
2. श्री जे॰ पी॰ जैन — अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा॰ रघवीर सिंह — अपर सचिव
2. श्री टी॰के॰ विश्वनाथ — संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) के प्रतिनिधि

श्री ए०के० सिन्हा — संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्रीमती गौरी चटर्जी — संयुक्त सचिव

2. समिति ने संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक के संवैधानिक पहलुओं पर भारत के महान्यायवादी, श्री अशोक एच० देसाई के विचार सुने।

3. समिति ने निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लियाः

1. श्री एच० रामैया अधिवक्ता,
   भूतपूर्व विधि सचिव
   (विधायी विभाग)
   (16.00 बजे से 16.25 बजे तक)

2. दिल्ली प्रदेश कायस्थ सभा
   वक्ता

   1. श्री वैभव विशाल
   2. श्री अशोक श्रीवास्तव
   3. श्री जे०पी० सिन्हा
   4. श्री एस०के० बिसारिया

   (16.25 बजे से 17.15 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक 26 नवम्बर, 1996 को 1500 बजे पुनः होने के लिए स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 26, नवम्बर, 1996 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

लोक सभा

श्रीमती गीता मुखर्जी—सभापति

सदस्य

2. श्रीमती मीरा कुमार
3. श्रीमती सुमित्रा महाजन
4. श्रीमती जयवंती बेन मेहता
5. श्री हन्नान मोल्लाह
6. श्री राम नाईक
7. श्री नीतिश कुमार
8. श्री शरद पवार
9. श्री पी॰एन॰ शिवा
10. श्रीमती सुषमा स्वराज
11. कुमारी उमा भारती
12. प्रो॰ रीता वर्मा
13. श्रीमती गिरिजा व्यास
14. श्री रामकृपाल यादव

राज्य सभा

15. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
16. श्रीमती मालती शर्मा
17. श्रीमती कमला सिन्हा
18. श्रीमती चन्द्रकला पांडेय

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम — उप सचिव
2. श्री जे॰पी॰ जैन — अवर सचिव

विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा॰ रघवीर सिंह , अपर सचिव
2. श्री टी॰के॰ विश्वनाथन, संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार

2. समिति ने इस बात के लिए अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की कि विधि मंत्री समिति की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं।

समिति का विचार था कि विधि मंत्री की अनुपस्थिति में विधेयक पर खंडवार विचार करना उचित नहीं होगा क्योंकि समिति के सदस्यों द्वारा किये गये संशोधनों पर वे सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 29 नवम्बर 1996 को 15.00 बजे से 17.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

लोक सभा

श्रीमती गीता मुखर्जी — सभापति

सदस्य

2. श्री रमाकान्त डी खलप
3. श्रीमती मीरा कुमार
4. श्रीमती जयवंतीबेन मेहता
5. श्री हन्नान मोल्लाह
6. श्री राम नाईक
7. श्री नीतिश कुमार
8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री विजय भास्कर रेड्डी
10. श्रीमती सुषमा स्वराज
11. कुमारी उमा भारती
12. प्रो॰ रीता वर्मा
13. श्री रामकृपाल यादव

राज्य सभा

14. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
15. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
16. श्रीमती कमला सिन्हा
17. श्रीमती चन्द्रकला पांडेय
18. श्री जयन्त कुमार मल्होत्रा

सचिवालय

1. डा॰ ए॰ के॰ पाण्डेय — अपर सचिव
2. श्री राम अवतार राम — उप सचिव
3. श्री जे॰ पी॰ जैन — अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा॰ रघबीर सिंह —अपर सचिव
2. श्री पी॰ एल॰ सकरवाल — संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) के प्रतिनिधि

श्री ए० के० सिन्हा, संयुक्त सचिव

2. समिति ने विधेयक में विभिन्न संशोधनों, जिनके लिए सदस्यों ने नोटिस दिया पर सामान्य चर्चा की।

3. तत्पश्चात समिति ने प्रत्येक खंड में संशोधनों, जिनके लिए सदस्यों द्वारा नोटिस दिया गया था, के विशेष संदर्भ में विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ किया और विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों के संबंध में आम सहमति बनाई। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि समिति द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किये गये संशोधनों को उसके द्वारा दर्शाये गये तरीके के अनुसार शामिल करते हुए विधेयक का प्रारूप पुनः तैयार किया जाये।

4. **खंड 2**

निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया और उन्हें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 5 और 11

"कम से कम एक-तिहाई स्थान" के स्थान पर

"यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

(दो) पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 9 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जायेः—

"परन्तु यह कि किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक से अधिक परन्तु तीन से कम है तो पहली सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखकर चक्रानुक्रम से एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जायेगी। ऐसी सीट की संख्या एक होने की स्थिति में भी, चक्रानुक्रम से आरक्षण का समान तरीका अपनाया जायेगा"।

(तीन) पृष्ठ 2, पंक्ति 15 से 17 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाएः—

"परन्तु यह कि किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित सीटों की संख्या एक से अधिक परन्तु तीन से कम हैं तो पहली सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखकर चक्रानुक्रम से एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जायेगी। ऐसी सीटों की संख्या एक होने की स्थिति में भी चक्रानुक्रम से आरक्षण का समान तरीका अपनाया जायेगा"।

5. **खंड 3**

निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया और उन्हें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया

(एक) पृष्ठ 2 पंक्ति 20 और 28

"प्रत्येक राज्य" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जायेः—

"प्रत्येक राज्य और दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी"

(सरकार तथा समिति को यह जानकारी दी गई कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 239कक में संशोधन करके विधेयक में नया संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। इस संशोधन का प्रारूप विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाना था)

(दो) पृष्ठ 2 पंक्ति 23 और 29

"कम से कम एक-तिहाई **के स्थान पर** यथाशक्य निकटतम, एक-तिहाई **प्रतिस्थापित किया जायेः—**

(तीन) पृष्ठ 2 पंक्ति 25 और 27 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेः—

"परन्तु यह कि किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां इस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक से अधिक परन्तु तीन से कम है तो एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखकर चक्रानुक्रम से एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जायेगी। ऐसी सीट की संख्या एक होने की स्थिति में भी, चक्रानुक्रम से आरक्षण का समान तरीका अपनाया जायेगा"।

(चार) पृष्ठ 2 पंक्ति 32

"किसी राज्य में **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जायेः—

किसी राज्य अथवा दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र अथवा संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी में"।

(पांच) पृष्ठ 2 पंक्ति 33-34 का लोक किया जाये

6. खंड 4

निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया गया और उसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया पृष्ठ 2 पंक्ति 35

"किसी राज्य की "के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेः—

"किसी राज्य अथवा दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र अथवा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी"

7. नये खंड

निम्नलिखित नये खंडों का प्रस्ताव किया गया और उन्हें विधि मंत्रालय द्वारा पुनः प्रारूप तैयार किये जाने के अध्ययधीन सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गयाः

(एक) पंक्ति 37 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेः—

"संविधान के अनुच्छेद 331 में अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्

"परन्तु यह कि इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों में से एक, पहली सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखकर, चक्रानुक्रम से महिला होगी"।

(दो) पंक्ति 38 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेः—

"संविधान के अनुच्छेद 334 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जायेगा अर्थात्ः—

"334 कः अनुच्छेद 330क और 332क के अंतर्गत लोक सभा और राज्यों दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी की विधान सभाओं और अनुच्छेद 80 और 171 के अंतर्गत राज्यों की परिषद और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 15 वर्ष अथवा सभा के तीन कार्यकालों तक, जो भी अधिक हो, होगा यह निर्धारित करने के लिए इन उपबंधों की पुनरीक्षा की जायेगी कि क्या इसके पश्चात् महिलाओं के लिए आरक्षण जारी रखा जायेगा।"

[चूंकि समिति वर्तमान विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 80 और 171 के अंतर्गत राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों में आरक्षण का उपबंध करने पर सहमत नहीं हुई अतः विधेयक में उपर्युक्त नये अनुच्छेद 334क का अंतःस्थापन, तद्नुसार उपांतरित करने और विधि मंत्रालय द्वारा इसका प्रारूप पुनः तैयार किया जाने के अध्ययधीन, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया।]

9. सदस्यों से प्राप्त संशोधन, जिन पर समिति ने विचार किया था लेकिन स्वीकार नहीं किया था अथवा जिन्हें सदस्यों ने वापिस ले लिया था, अनुबंध में दिए गए हैं।

10. समिति ने प्रतिवेदन में निम्नलिखित सामान्य सिफारिशें करने का निर्णय लिया।

सामान्य सिफारिशें

समिति नोट करती है कि संविधान में प्रस्तावित संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 330 के उपखण्ड (2) तथा अनुच्छेद 332 के उपखण्ड (3) के अन्तर्गत आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु, जैसा भी मामला हो, क्रमशः लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण का उपबन्ध करते हैं। समिति तथापि, टिप्पणी करती है कि विधेयक में इस तरह अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इस समय संविधान के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है जैसा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सरकार आरक्षण के लाभ को अन्य पिछड़े वर्गों को भी यथोचित समय पर देने का विचार करे ताकि अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल सके।

समिति नोट करती है कि विधेयक में राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के आरक्षण का कोई उपबंध नहीं है। समिति महसूस करती है कि राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों में भी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सरकार को इस संबंध में रूपरेखा तैयार करनी चाहिए तथा उचित समय पर इस बारे में उपयुक्त कानून बनाना चाहिए।

11. तत्पश्चात्, समिति ने विधि मंत्रालय को निर्देश दिया कि उसके द्वारा स्वीकृत संशोधनों को शामिल करने के पश्चात् प्रारूप विधेयक को लोक सभा सचिवालय को शनिवार, 30 नवम्बर, 1996 तक भेज दिया जाये।

12. तत्पश्चात्, समिति की बैठक विधेयक के साथ अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु 3 दिसम्बर को समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996
संबंधी संयुक्त समिति

समिति के सदस्यों से प्राप्त संशोधनों की सूची, जिन पर 29 नवम्बर, 1996 को हुई बैठक में विचार किया गया लेकिन स्वीकृत नहीं किया गया अथवा सदस्यों द्वारा वापिस लिया गया।

(देखिए कार्यवाही सारांश का पैरा 9)

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
1	2	3
	श्री राम कृपाल यादव श्री पी॰एन॰ शिवा श्री नीतीश कुमार	
1.	पृष्ठ 2, पंक्ति 5 ''अनुसूचित जनजातियों'' शब्दों के पश्चात् ''अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित'' जोड़ा जाये।	2
2.	पृष्ठ 2, पंक्ति 9 ''जनजातियों'' के पश्चात् ''अन्य पिछड़े वर्गों'' जोड़ा जाये।	2
3.	पृष्ठ 2, पंक्ति 12 ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों'' के स्थान पर ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों'' प्रतिस्थापित किया जाये।	2
4.	पृष्ठ 2, पंक्ति 23 ''अनुसूचित जनजातियों'' के पश्चात् ''और अन्य पिछड़े वर्गों'' जोड़ा जाये।	2
	श्री राम कृपाल यादव श्री पी॰एन॰ शिवा	
5.	पृष्ठ 2, पंक्ति 26 ''अनुसूचित जनजातियो'' के पश्चात् ''अन्य पिछड़े वर्गों'' जोड़ा जाये।	3
	श्री राम कृपाल यादव श्री पी॰एन॰ शिवा श्री नीतिश कुमार	

1	2	3
6.	पृष्ठ 2, पंक्ति 29-30 ''अनुसूचित जादियों और अनुसूचित जनजातियों'' के स्थान पर ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों'' प्रतिस्थापित किया जाये। ज3 श्री राम नाईक श्रीमती सुमित्रा महाजन श्रीमती जयवंती बेन मेहता श्रीमती सुषम स्वराज कुमारी उमा भारती प्रो॰ रीता वर्मा श्रीमती मालती शर्मा	
7.	पृष्ठ 2, टिप्पण पंक्ति 37 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये— ''संविधान के अनुच्छेद 80 में, खण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:— ''खंड (3) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशन् के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों सहित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई, यथाशक्य निकटतम, महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।''	(नया खण्ड) अनुच्छेद 80 राज्य सभा के गठन से संबंधित है।
8.	पृष्ठ 2, टिप्पण पंक्ति 37 के पश्चात् अंतःस्थापित कीजिये— ''संविधान के अनुच्छेद 171 में, खण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:— ''खंड (3) के उपखंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत चुनावों के माध्यम से और उक्त खंड के उपखंड (ङ) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा किए गए नाम-निर्देशन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों का एक तिहाई, यथाशक्य निकटतम, महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।''	(नया खण्ड) अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषदों के गठन से संबंधित है।
9.	पृष्ठ 2, पंक्ति 37 के पश्चात् अंतःस्थापित कीजिये— ''संविधान के अनुच्छेद 334क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:— ''334ख चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के चयन का कार्य रोस्टर के आधार पर संख्यात्मक रूप से सौंपा जायेगा।''	(नया खण्ड)

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1996 को 15.00 बजे से 16.20 बजे तक हुई।

उपस्थित

लोक सभा

श्रीमती गीता मुखर्जी — सभापति

सदस्य

2. श्री सुरजीत सिंह बरनाला
3. श्री रमाकान्त डी॰ खलप
4. श्रीमती मीरा कुमार
5. श्रीमती सुमित्रा महाजन
6. श्रीमती जयवंती बेन मेहता
7. श्री हन्नान मोल्लाह
8. श्री राम नाईक
9. श्री नीतिश कुमार
10. श्री शरद पवार
11. श्रीमती सुषमा स्वराज
12. प्रो॰ रीता वर्मा
13. डा॰ गिरिजा व्यास
14. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

15. श्रीमती मारग्रेट आल्वा
16. श्रीमती मालती शर्मा
17. श्रीमती कमला सिन्हा
18. श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय
19. श्री आर॰ के॰ कुमार
20. श्रीमती रेणुका चौधरी
21. श्री एन॰ गिरि प्रसाद

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम — **उप सचिव**
2. श्री जे॰पी॰ जैन — **अवर सचिव**

विधि तथा न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधायी विभाग)

1. डा॰ रघबीर सिंह — **अपर सचिव**
2. श्री पी॰ एल॰ सकरवाल — **संयुक्त सचिव**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि (महिला एवं बाल विकास विभाग)

श्री ए॰ के॰ सिन्हा, संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री तुलसी गौड, निदेशक

2. आरम्भ में, सभापति ने विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गये संशोधित प्रारूप विधेयक में श्री राम नाईक के प्रस्तावित कुछ संशोधनों के बारे में पत्र प्राप्त होने की सूचना दी और इसे प्रारूप प्रतिवेदन में संलग्न कर दिया गया।

3. श्री राम नाईक, संसद् सदस्य द्वारा प्राप्त निम्नलिखित संशोधन उनके द्वारा प्रस्तावित किये गये और उन्हें सिद्धांततः स्वीकार किया गयाः—

(एक) खण्ड 4

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 और 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें—

"परन्तु जहां कहीं ऐसे नाम निर्देशन किये गये हैं, वहां लोक सभा के तीन आम चुनावों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक में एक सीट पहले दो साधारण निर्वाचनों के बाद गठित सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की एक महिला के नाम निर्देशन के लिए आरक्षित होगी और तीसरे सामान्य निर्वाचन के पश्चात् गठित सभा में उस समुदाय की महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी।"

(दो) खण्ड 6

पृष्ठ 3, पंक्ति 33 और 34 के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंः—

"परन्तु जहां कहीं ऐसे नाम निर्देशन किए गए हैं, वहां विधान सभा के तीन आम चुनावों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक में एक सीट पहले आम चुनाव के बाद गठित विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की एक महिला के नाम-निर्देशन के लिए आरक्षित होगी और दूसरे तथा तीसरे आम चुनाव के बाद गठित विधान सभा में उस समुदाय की महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी।"

4. श्री राम नाईक, संसद सदस्य से पुनरीक्षित विधेयक के संबंध में प्राप्त अन्य संशोधन, जिन पर समिति द्वारा विचार किया गया और सदस्य द्वारा वापस ले लिए गए, अनुबन्ध में दिए गए।

5. तत्पश्चात् समिति ने यथासंशोधित विधेयक पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया।

6. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और मामूली उपांतरों के साथ स्वीकृत किया।

7. समिति ने विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय को श्री राम नाईक, संसद् सदस्य द्वारा पेश किए गए और समिति द्वारा स्वीकृत किए गए संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूपण स्वरूप की कोई छुटपुट संशुद्धि, यदि कोई हो, करने के लिए प्राधिकृत किया।

8. सभापति ने सदस्यों का ध्यान विसम्मति के टिप्पण के बारे में अध्यक्ष के निर्देश 87 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की और आकर्षित किया और यह घोषणा की कि यदि कोई विसम्मति टिप्पण हो, तो वह लोक सभा सचिवालय को बुधवार, 4 दिसम्बर, 1996 को 16.00 बजे तक भेज दिया जाए।

9. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री राम नाईक, संसद सदस्य को सोमवार, 9 दिसम्बर, 1996 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

10. समिति ने श्रीमती मारग्रेट आल्वा, संसद सदस्य को और उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती रेणुका चौधरी, संसद सदस्य को सोमवार, 9 दिसम्बर, 1996 को प्रतिवेदन और साक्ष्य का अभिलेख राज्य सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

11. समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद विधेयक के उपबंधों के संबंध में समिति को प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों वाले ज्ञापनों के दो सैट संसद सदस्यों के सन्दर्भ के लिए संसद ग्रंथालय में रख दिए जाएं।

12. समिति ने विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य राज्य मंत्री द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की सराहना की और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग); मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग); और कल्याण मंत्रलाय के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता की भी प्रशंसा की।

13. समिति ने सभी मामलों में समिति के कार्य में सहायता करने और प्रारूप प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कराने में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और मूल्यवान सहायता के लिए उनकी भी सराहना की और धन्यवाद दिया।

14. सभापति ने समिति की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा कार्यवाही अत्यधिक अनुकूल वातावरण में चलाने में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया।

15. समिति के सदस्यों ने भी सभापति (श्रीमती गीता मुखर्जी, संसद सदस्य) को समिति की कार्यवाही बहुत अच्छी तरह से चलाने और विधेयक के विभिन्न चरणों में विचार-विमर्श में सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए उनकी अत्यधिक सराहना की।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996
संबंधी संयुक्त समिति

पुनरीक्षित विधेयक के संबंध में समिति के सदस्य, श्री राम नाईक से प्राप्त उन संशोधनों की सूची, जिन पर 3 दिसम्बर, 1996 को हुई समिति की बैठक में विचार किया गया और जिन्हें श्री नाईक द्वारा वापिस ले लिया गया।

(देखिए कार्यवाही-सारांश का पैरा)

क्रमांक **सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ** **खंड संख्या**

श्री राम नाईक

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए—

"संविधान के अनुच्छेद 239कक खंड (2) में उपखंड (ख),—

(एक) "स्थानों की कुल संख्या" शब्दों से पूर्व "अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अध्यधीन" शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे:

(दो) "अनुसूचित जातियों" शब्दों के पश्चात् "और महिलाएं" शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे।

2. पृष्ठ 3, पंक्ति 3 के लिए

"प्रत्येक राज्य" के लिए

"प्रत्येक राज्य और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित कीजिए।

3. पृष्ठ 3, पंक्ति 35 में, "दिल्ली शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगेः—

"और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र,"

4. पृष्ठ 3, नीचे से दूसरी पंक्ति में, "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे अर्थातः—

"और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी"

5. पृष्ठ 4

(एक) पंक्ति 3 में, "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे अर्थातः—

"और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी"

6. पृष्ठ 4, पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड प्रतिस्थापित करें:—

"संविधान के अनुच्छेद 239क में खंड 1 में, "संसद विधि द्वारा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए सृजन करे" शब्दों से पहले "अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अध्याधीन" शब्द अंतःस्थापित किए जायेंगे"।

MGIPMRND—1409LS—13.06.2003.

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
V	1	2	की	का
V	2	6	कि	की
V	4	1	प्रकाशनी	प्रकाशिनी
XI	–	नीचे से 5	मैं	में
XII	–	4	बहुसंख्या	बहुसंख्य
XII	–	10	अतिरिक्ति	अतिरिक्त
XII		नीचे से 4	राजतन्त्र	राज्यतन्त्र
XIII	–	अन्तिम	मुख्तार अनीस	मुखतार अनीस
1		3	मिल	बिल
1		6	अधोरेखांकित के प्रश्चात्	''या'' लगाएं
1		6	संशोघन	संशोधन
1	2	1	239ककक	239कक
3	7	2	34क	334क
4	7	6	अस्तु	परन्तु
4	–	6	शीलकालीन	शीतकालीन
12	–	क्रमांक 8 और अन्यत्र	नीतिश	नीतीश
15	–	5	इन	इस
15	–	6	अन्त:खस्थापित	अन्त:स्थापित
21	5	1	* का लोप करें	
28	–	1	''लोक''	लोप
28	–	3	''पृष्ठ 2 पंक्ति 35'' की अगली पंक्ति में पढ़े	
30		कालम 3 में	त्र3	3
30		7	सुषम	सुषमा

© 1996 लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 382 (आठवां संस्करण) के अधीन प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।